



2026:AHC-LKO:3707-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ

रिट - सी संख्या - 365 सन 2026

अमिता पुरी

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

नगर पालिका परिषद बहराईच द्वारा अध्यक्ष एवं एक अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	नृपेंद्र मिश्रा
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	राकेश प्रताप सिंह

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री नृपेंद्र मिश्रा तथा प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश प्रताप सिंह की ओर से उपस्थित श्री अवनीश सिंह को सुना गया।
2. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि यदि कोई कानूनी बाधा न हो तो याचिकाकर्ता के उत्पत्तिवर्तन आवेदन पर यथाशीघ्र विधि के अनुसार निर्णय लिया जाएगा।
3. दिए गए कथन का अक्षरशः पालन किया जाए।
4. यदि दो महीने के भीतर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो याचिकाकर्ता इस न्यायालय में पुनः अपील कर सकता है।
5. उपरोक्त टिप्पणियों/निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जनवरी 19, 2026

आर.के.पी.

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।